न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र/ 88/2017

रामश्री पत्नि स्व0 प्रहलाद सिंह जाति जाट निवासी गालाहेडा तहसील वैर जिला भरतपुर।
.........प्रार्थियां

बनाम

1. परियोजना निदेशक,भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना इकाई एनएच–11 जयपुर (राज0)
2. भूमि अवाप्ति अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, वैर

......अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत दिलाये जाने ब्याज राशि आदेश दिनांक 9.07.2015 वमुकदमा उनवानी प्रहलादसिंह बनाम परियोजना निदेशक एन.एच.11 दौसा वगै0

उपस्थितः–
1–श्री विमलसिंह अभिभाषक प्रार्थी,
2–श्री दीपक शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी न.1

निर्णय **दिनांक 22.12.2021**

प्रार्थिया ने यह प्रार्थना पत्र बाबत दिलाये जाने ब्याज राशि आदेश दिनांक 9.07.2015 वमुकदमा उनवानी प्रहलादसिंह बनाम परियोजना निदेशक एन.एच.11 दौसा वगै0 इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम गालाहेडा तहसील वैर जिला भरतपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 275/135 रकबा 3.03 बीघा भूमि प्रार्थियां के पति प्रहलादसिंह पुत्र रूपा के स्वर्गवास हो जाने के कारण नामान्तकरण संख्या 409 दिनांक 20.08.2015 से राजस्व रिकार्ड में खातेदारी प्रार्थियां रामश्री के नाम आई है। भूमि अवाप्ति अधिकारी वैर द्वारा न्यायालय के आदेश दिनांक 15.7.2015 की पालना में पारित अवार्ड राशि का भुगतान भी प्रार्थिया को किया गया है जो कि विधिक वारिस है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के लिए भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 08.11.2006 से प्रार्थी के कब्जे व खातेदारी की वाणिज्यिक उपयोग की भूमि खसरा नम्बर 275/135 रकबा 3.03 बीघा ग्राम मालाहेडा तहसील वैर में 1172.34 वर्गमीटर भूमि अवाप्ति की गई थी। जिसका अवार्ड उपखण्ड अधिकारी वैर ने कृषि भूमि मानते हुए कृषि की दर से अवाप्त की गई 1172.34 वर्गमीटर अर्थात् 11.25 ऐयर भूमि की कीमत 358465/– व

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

उस पर निर्मित 8 दुकानों के निर्माण की लागत 191121/– कुल 529901/– रू0 का अवार्ड पारित किया गया था। जबकि अवाप्त भूमि 1172.34 वर्गमीटर में से 279.51 वर्गमीटर का सक्षम अधिकारी द्वारा वाणिज्यिक रूपान्तरण किया जा चुका था। जिसका भुगतान कृषि भूमि से किया गया है जबकि प्रार्थिया की अवाप्त की गई वाणिज्यिक भूमि 279.51 वर्गमीटर का व्यावसायिक दर के अनुसार 829306.17/– व इस पर देय अन्य परिलाभ जो उक्त अधिनियम के अनुसार देय है। न्यायालय द्वारा दिनांक 15.7.2015 को स्वीकार अवार्ड पारित किया "भूमि अवाप्त अधिकारी एसडीएम वैर को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीयान की आराजी खसरा नम्बर 275/135 के रकबा में से प्रार्थी प्रहलाद की अवाप्तशुदा रकबा 1172.34 वर्गमीटर में से अवाप्तशुदा 147 वर्गमीटर भूमि की वाणिज्यिक कीमत 2967/– प्रति मीटर की दर से मुआवजा राशि 434679/– रू0 भुगतान करे तथा तीन दुकान निर्माण की कीमत 741600/–रू0 एवं 10 प्रतिशत राशि सुखाचार/क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान प्रार्थी को किया जावे तथा 9 प्रतिशत की दर से ब्याज की दर से गणना कर प्रार्थी को भुगतान किया जावे"। किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा आदेश की पालना नही कर भूमि अधिकारी वैर द्वारा संशोधित भुगतान प्रस्ताव कि दिनांक मात्र दिनांक 14.12.2016 तक ही देय कुल शुद्व भुगतान राशि 1687775/– रू0 पर ब्याज 9 प्रतिशत दिनांक 28.01.2008 से 15.12.2016 तक 8वर्ष 10 माह 15 दिन का साधारण ब्याज मात्र 844950/– रू0 का ही प्रार्थियां को प्रदत्त किया गया है। भूमि अवाप्त अधिकारी वैर द्वारा संशोधित भुगतान प्रस्ताव में प्रार्थियां को देय राशि की गणना दिनांक 14.12.2016 तक मय ब्याज के की गई थी किन्तु प्रार्थियां को दिये गये चैक दिनांक 14.9.2017 को भी उक्त राशि 1687775/– दिनांक 14.12.20016 तक के ही ब्याज का भुगतान कर प्रार्थियां को वित्तीय व मानसिक हानि हुई है। प्रार्थिया को भुगतान दिया गया था उसकी गणना 14.12.2016 तक ही की गई है। जबकि उक्त राशि का भुगतान लगभग 8 महीनों के बाद किया गया है तथा कुल देय भुगतान राशि को प्रार्थियां को देने में लगे शेष समय पर ब्याज राशि की गणना नही की गई है जो कि पारित आदेश दिनांक 15.07.2015 के विपरीत है। प्रार्थिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.07.2015 के अनुसार दिये गये कुल मुआवजा राशि 1687775/–रू0 पर ब्याज निर्धारण दिनांक 15.12.2016 से उक्त राशि को प्रार्थियां को भुगतान दिनांक 15.7.2017 के मध्य लगे 8 माह का ब्याज राशि 101266/– रू0 व उक्त ब्याज राशि का भुगतान किये जाने कि दिनांक तक पर भी ब्याज भुगतान प्रार्थिया को किये जाने का आदेश पारित किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया। अप्रार्थीगण ने जवाब पेश किया। उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई ।

योग्य अभिभाषक प्रार्थियां ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये तर्क किया है कि वाके ग्राम मालाहेड़ा तहसील वैर जिला भरतपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

275/135 रकबा 3.03 बीघा भूमि प्रार्थियां के पति प्रहलादसिंह पुत्र रूपा के स्वर्गवास हो जाने के कारण नामान्तकरण संख्या 409 दिनांक 20.08.2015 से राजस्व रिकार्ड में खातेदारी प्रार्थियां रामश्री के नाम आई है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 की अधिसूचना दिनांक 08.11.2006 से प्रार्थी के कब्जे व खातेदारी की वाणिज्यिक उपयोग की भूमि खसरा नम्बर 275/135 रकबा 3.03 बीघा ग्राम मालाहेडा तहसील वैर में 1172.34 वर्गमीटर भूमि अवाप्ति की गई थी। सक्षम अधिकारी एसडीएम वैर ने कृषि भूमि मानते हुए कृषि की दर से अवाप्त की गई 1172.34 वर्गमीटर अर्थात् 11.25 ऐयर भूमि की कीमत 358465/–व उस पर निर्मित 8 दुकानों के निर्माण की लागत 191121/–कुल 529901/–रू0 का अवार्ड पारित किया गया था। जबकि अवाप्त भूमि 1172.34 वर्गमीटर में से 279.51 वर्गमीटर का सक्षम अधिकारी द्वारा वाणिज्यिक रूपान्तरण किया जा चुका था। जिसका भुगतान कृषि भूमि से किया गया है जबकि प्रार्थिया की अवाप्त की गई वाणिज्यिक भूमि 279.51 वर्गमीटर का व्यावसायिक दर के अनुसार 829306.17/– व इस पर देय अन्य परिलाभ जो उक्त अधिनियम के अनुसार देय है। न्यायालय द्वारा दिनांक 15.7.2015 को स्वीकार अवार्ड में भूमि अवाप्त अधिकारी एसडीएम वैर को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीयान की आराजी खसरा नम्बर 275/135 के रकबा में से प्रार्थी प्रहलाद की अवाप्तशुदा रकबा 1172.34 वर्गमीटर में से अवाप्तशुदा 147 वर्गमीटर भूमि की वाणिज्यिक कीमत 2967/–प्रति मीटर की दर से मुआवजा राशि 434679/–रू0 भुगतान करे तथा तीन दुकान निर्माण की कीमत 741600/–रू0 एवं 10 प्रतिशत राशि सुखाचार/क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान प्रार्थी को किया जावे तथा 9 प्रतिशत की दर से ब्याज की दर से गणना कर प्रार्थी को भुगतान किया जावे। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा पारित आदेश की पालना में भूमि अधिकारी वैर द्वारा संशोधित भुगतान प्रस्ताव में मात्र दिनांक 14.12.2016 तक ही देय कुल शुद्व भुगतान राशि 1687775/–रू0 पर ब्याज 9 प्रतिशत दिनांक 28.01.2008 से 15.12.2016 तक 8 वर्ष 10 माह 15 दिन का साधारण ब्याज मात्र 844950/–रू0 का ही प्रार्थियां को प्रदत्त किया गया है। भूमि अवाप्त अधिकारी वैर द्वारा संशोधित भुगतान प्रस्ताव में प्रार्थियां को देय राशि की गणना दिनांक 14.12.2016 तक मय ब्याज के की गई थी किन्तु प्रार्थियां को दिये गये चैक दिनांक 14.9.2017 को भी उक्त राशि 1687775/–दिनांक 14.12.20016 तक के ही ब्याज का भुगतान किया गया है। प्रार्थिया को भुगतान दिया गया था उसकी गणना 14.12.2016 तक ही की गई है। जबकि उक्त राशि का भुगतान लगभग 8 महीनों के बाद किया गया है तथा कुल देय भुगतान राशि को प्रार्थियां को देने में लगे शेष समय पर ब्याज राशि की गणना नही की गई है जो कि पारित आदेश दिनांक 15.07.2015 के विपरीत है। प्रार्थिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.07.2015 के अनुसार दिये गये कुल मुआवजा राशि 1687775/–रू0 पर ब्याज निर्धारण दिनांक 15.12.2016 से उक्त राशि को प्रार्थियां को भुगतान दिनांक 15.7.2017 के मध्य लगे 8 माह का ब्याज राशि 101266/–रू0 व

जिला कलेक्टर
भरतपुर (राज0)

उक्त ब्याज राशि का भुगतान किये जाने कि दिनांक तक पर भी ब्याज भुगतान प्रार्थिया को किये जाने का आदेश पारित किये जाने हेतु अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी एन.एच ने अपने कथनों में प्रस्तुत लिखित बहस के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया है कि आ0ख0न0 275/135 रकबा 3.03 बीघा से 1172.34 व0मी0 भूमि उपखण्ड अधिकारी वैर द्वारा अवाप्त की गई थी। जिसमें अवाप्त शुदा रकबा व मौके पर निर्मित 8 दुकानों की लागत व अवार्ड राशि का भुगतान सक्षम अधिकारी द्वारा किया जा चुका है। जिसमें 147 व0मी0 का भूमि वाणिज्यिक दर से भुगतान व सुखाचार 10 प्रतिशत का 9 प्रतिशत मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है। दिनांक 09.7.2015 को पारित आदेश में भी यही उल्लेख किया गया है साथ ही यदि पूर्व में किये गये कोई मुआवजा राशि को भुगतान कर दिया गया हो तो भुगतान की गई राशि का उपरोक्त मुआवजा आवार्ड राशि में से समायोजित करते हुये शेष भुगतान किया जाने का आदेश के मुताबिक ही मुआवजा राशि मय ब्याज सक्षम प्राधिकारी को जमा करा दी गई है तथा प्रार्थियां प्राधिकरण से कोई अतिरिक्त मुआवजा राशि प्राप्त करने की अधिकारिणी नही है। अंत में अभिभाषक अप्रार्थी एनएच द्वारा प्रार्थी प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने के कारण खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया है।

इसके अतिरिक्त पत्रावली पर उपलब्ध प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी वैर की रिपोर्ट में कथन किया है कि "आ0ख0न0 275/135 रकबा 3.03 बीघा से मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के अनुसार खातेदारान की भूमि 1570 वर्गमीटर अवाप्त की गई जिसमें से रिपोर्ट पटवारी हल्का के प्रार्थी प्रहलाद पुत्र रूपा का हिस्सा 147 वर्गमीटर रूपान्तरित एवं 1025.34 वर्गमीटर कृषि भूमि अवाप्त की गई है। प्रार्थियां को भुगतान न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 09.07.2015 व न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 भरतपुर के निर्णय दिनांक 20.07.2016 के अनुसार राशि की गणना कर संशोधित अवार्ड जारी कर प्रार्थियां रामश्री को 1687775/–का भुगतान जरिये चैक से जमा कराया गया है। प्रार्थियां को नियमानुसार भुगतान किया जा चुका है"।

हमने पत्रावलियो का अध्ययन किया। उभयपक्षकारान अभिभाषक के कथनों एवं लिखित बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा अपनी अपील में न्यायालय द्वारा पारित आदेश की दिनांक 15.07.2015 दर्शायी गई है जबकि प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 09.07.2015 का है। विवादित रकबे का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रार्थियां के अवाप्तशुदा रकबे का जो मुआवजा निर्धारित किया गया है वह इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.07.2015 की पालना में संशोधित अवार्ड जारी कर मुआवजा भुगतान व ब्याज का भुगतान किया जा चुका है। न्यायालय हाजा द्वारा पारित पूर्व आदेश दिनांक 09.07.2015 में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नही होने से किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नही पाते है। प्रार्थी प्रकरण में

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

किसी भी प्रकार की रिलीफ पाने का हकदार नही है। प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य पाते है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर,
भरतपुर